[2022] 3 एस सी आर 79

ए.

उत्तरखंड राज्य और ए. एन. आर. बनाम

मय पाल सिंह वर्मा (2022 की सिविल अपील संख्या 2905) 19 अप्रैल, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर निर्णय लिए बिना रिट याचिका का निपटारा किया और राज्य को न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, जिसे उसके समक्ष चुनौती दी गई थी-राज्य द्वारा अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःउच्च न्यायालय ने रिट याचिका का अत्यंत बेपरवाह और सरसरी तरीके से निपटारा किया, जो अस्थिर है-उच्च न्यायालय का आदेश तर्कहीन है-जब रिट याचिका में कई मुद्दे/आधार उठाए गए थे, तो उच्च न्यायालय पर उसी से निपटने और उसके बाद, एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का कर्तव्य डाला गया था-गुण-दोष-व्यवहार और प्रक्रिया के आधार पर रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया गया।

मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.**अभिलेख पर प्रस्तुत रिट याचिका से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी गई थी।रिट याचिका में उठाए गए किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण**-**दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया है और**/**या विचार नहीं किया गया है।रिट याचिका में उठाए गए किसी भी आधार पर कोई चर्चा नहीं हुई है।उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का अत्यंत बेपरवाह और सरसरी तरीके से निपटारा किया**,** जो टिकाऊ नहीं है।उच्च न्यायालय को गुण**-**दोष के आधार पर रिट याचिका पर निर्णय लेने और उसका निपटारा करने और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता और शुद्धता पर विचार करने की आवश्यकता थी।**[**पैरा **2.1] [81-**जी**; 82-**बी**]**

2. जिस तरह से उच्च न्यायालय ने गुण**-**दोष के आधार पर रिट याचिका पर निर्णय लिए बिना रिट याचिका को निपटाया और उसका निपटारा किया है**,** उसकी बिल्कुल भी सराहना

नहीं की जा सकती है।जब रिट याचिका में कई मुद्दे/आधार उठाए गए थे, तो उच्च न्यायालय पर उसी से निपटने और उसके बाद एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का कर्तव्य डाला गया था।**[**पैरा **2.2] [82-**सी**]** ए

जी.

एच.

79

80 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 3 एस. सी. आर.

3. उच्च न्यायालय का आदेश तर्कहीन है।पक्षकारों द्वारा विभिन्न आधारों का आग्रह किया गया/उठाए गए जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा पहले जांच की जानी चाहिए थी और संबंधित दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता थी।गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है।**[**पारस **3,4] [83-**डी**-**ई**]**

विशाल अश्विन पटेल बनाम सहायक आयकर आयुक्त **4** सर्कल **25 (3)** और अन्य। **(**सिविल अपील **No.2200/2022);** सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाम इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड**, (2018) 8** एससीसी **443:[2018] 7** एस**.** सी**.** आर**. 1130;** और संघ लोक सेवा आयोग बनाम बिभू प्रसाद सारंगी और अन्य**, (2021) 4** एस**.** सी**.** सी**. 516 -**

पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 7 एससीआर **1130**

पैरा **2.3**

उस पर भरोसा करें

(2021) 4 एस**.** सी**.** सी**. 516**

पैरा **2.4**

उस पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील No.2905।

2022 के डब्ल्यू. पी. एस. बी. No.09 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.01.2022 के निर्णय और आदेश से।

कौशल गौतम ए. ए. जी., सुश्री रचना गांधी, सुश्री नमिता चौधरी, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

अशोक सिंह, श्री पाल सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. डब्ल्यू. पी. एस. बी. नं. <आई. डी. 1 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर रिट याचिका पर निर्णय लिए बिना उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया है और विभाग को न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है, जिसे उसके समक्ष चुनौती दी गई थी, राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

जी.

2. दावा याचिका ए में उत्तराखंड लोक सेवा न्यायाधिकरण, देहरादून (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") द्वारा पारित आदेश से व्यथित महसूस करना।

एच.

81

उत्तरखंड राज्य और ए. एन. आर. बनाममय पाल सिंह वर्मा [एम. आर. शाह, जे.] ए.

No.104/DB/2009, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने विभाग को मूल आवेदक के मामले पर विचार करते हुए ए. सी. आर. में गैर-संचारित "उत्तम" प्रविष्टियों की अनदेखी करने का निर्देश दिया-समीक्षा किए गए ए. सी. पी. द्वारा मुख्य अभियंता स्तर-2 के पद पर उनकी पदोन्नति के लिए इसमें निजी प्रत्यर्थी उत्तराखंड राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी थी।विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिए बिना और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता पर कुछ भी व्यक्त किए बिना उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया है और राज्य को यह देखते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है कि हालांकि

न्यायाधिकरण ने 15 सितंबर, 2021 को एक आदेश पारित किया था, लेकिन कोई समीक्षा एसीपी का गठन नहीं किया गया है।उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के गुण-दोष पर कोई चर्चा नहीं की गई है, जिसे उसके समक्ष चुनौती दी गई थी।विवादित आदेश इस प्रकार हैः-

“इस मामले को वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से उठाया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रदीप जोशी को सुना।

इस मामले में, याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड लोक सेवा न्यायाधिकरण, देहरादून द्वारा दावा याचिका संख्या 104/डी. बी./2009 में पारित आदेश पर हमला किया है, जिसमें विरोधी पक्ष को समीक्षा किए गए ए. सी. पी. द्वारा मुख्य अभियंता स्तर-2 के पद पर अपनी पदोन्नति के लिए निजी प्रत्यर्थी के मामले पर विचार करते हुए ए. सी. आर. में गैर-संचारित "उत्तम" प्रविष्टियों को नजरअंदाज करने का निर्देश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी-विभाग इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रतिनिधित्व की तारीख से तीन महीने के भीतर समीक्षा किए गए एसीपी को आयोजित कर सकता है।यह आदेश 15 सितंबर, 2021 को पारित किया गया है, तब तक कोई समीक्षा एसीपी का गठन नहीं किया गया है। न्यायाधिकरण द्वारा पारित उस आदेश का आज से 21 दिनों के भीतर पालन किया जाए।

इस तरह के अवलोकन के साथ, लेखन आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है।” 2.1 अभिलेख पर प्रस्तुत रिट याचिका से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी गई थी।रिट याचिका में उठाए गए किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया है।रिट याचिका में उठाए गए किसी भी आधार पर कोई चर्चा नहीं हुई है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिका का अत्यंत बेपरवाह और सरसरी तरीके से निपटारा किया है, जो टिकाऊ नहीं है।उच्च न्यायालय ने रिट का निपटारा कर दिया है

जी.

एच.

योग्यता के आधार पर रिट याचिका पर निर्णय लिए बिना याचिका दायर की गई और विभाग को यह देखते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन करने का निर्देश दिया कि आदेश 15 सितंबर, 2021 को पारित किया गया है और आज तक कोई समीक्षा एसीपी का गठन नहीं किया गया है।हालाँकि, उच्च न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए था कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश उसके समक्ष चुनौती के अधीन था और इसलिए, उच्च न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका का निर्णय लेने और उसका निपटारा करने और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता और शुद्धता पर विचार करने की आवश्यकता थी।

2.2 जिस तरह से उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर निर्णय लिए बिना रिट याचिका को निपटाया और उसका निपटारा किया है, उसकी बिल्कुल भी सराहना नहीं की जा सकती है।जब रिट याचिका में कई मुद्दे/आधार उठाए गए थे, तो उच्च न्यायालय पर उसी से निपटने और उसके बाद एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का कर्तव्य डाला गया था।हाल ही में

विशाल अश्विन पटेल बनाम आयकर सर्कल के सहायक आयुक्त 25 (3) और अन्य के मामले में निर्णय। (दीवानी अपील

नं. 2200/2022), इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जब संविधान उच्च न्यायालयों को राहत देने की शक्ति प्रदान करता है, तो उचित मामलों में ऐसी राहत देना उच्च न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है और यदि पर्याप्त कारणों के बिना राहत देने से इनकार कर दिया जाता है तो उच्च न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहेंगे।यह आगे देखा गया है कि इस मामले में, उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता और वैधता पर स्वतंत्र रूप से विचार करना आवश्यक था, जिसे उसके समक्ष चुनौती दी गई थी।न तो गुण-दोष पर कोई प्रस्तुति दर्ज की जाती है और न ही न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश पर मामले के गुण-दोष पर कोई चर्चा होती है।न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के गुण-दोष पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है।

2.3 एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए,

केंद्रीय न्यासी बोर्ड बनाम इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड, (2018) 8 एस. सी. सी. 443 के मामले में यह माना गया और इसके द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

न्यायालय ने कहा कि अदालतों को प्रत्येक मामले में एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता है जिसमें एल. आई. एस. के पक्षकारों के मामले के नंगे तथ्यों का वर्णन, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, पक्षों द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतिकरण, शामिल मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांत और मामले में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के समर्थन में कारण और इसके निष्कर्ष के समर्थन में पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय में आगे यह देखा गया कि तर्क से रहित आदेश ए

जी.

एच.

83

उत्तरखंड राज्य और ए. एन. आर. बनाममय पाल सिंह वर्मा [एम. आर. शाह, जे.]

यह दलों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करता है क्योंकि यह उन्हें यह जानने से वंचित करता है कि एक पक्ष क्यों जीता है और दूसरा क्यों हारा है।

2.4 संघ लोक सेवा के मामले में हाल के एक निर्णय में

आयोग बनाम बिभू प्रसाद सारंगी और अन्य**, (2021) 4** एससीसी

516 , इस बात पर जोर देते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा कारण दिए जाने चाहिए, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया कि कारण न्यायिक निर्णय की आत्मा का गठन करते हैं और न्यायाधीश अपने निर्णय में कैसे संवाद करते हैं, यह न्यायिक प्रक्रिया की एक परिभाषित विशेषता है क्योंकि न्याय की गुणवत्ता न्यायपालिका में वैधता लाती है।यह आगे देखा गया है कि हालांकि मामलों के निपटारे के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक उच्च मूल्य, आंतरिक सामग्री और एक गुणवत्तापूर्ण निर्णय है।यह आगे देखा गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अदालतों को शामिल मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता होती है।

3. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में दिए गए कानून को लागू करते हुए मामले के तथ्यों पर और जिस तरह से उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा किया है, हम केवल

इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि आदेश तर्क से रहित है क्योंकि पक्षों द्वारा विभिन्न आधारों का आग्रह किया गया था/उठाए गए थे जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा जांच की जानी चाहिए थी और प्रासंगिक दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता थी।

4. चूंकि हम उस तरीके को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसने हमें गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए मजबूर किया है, हम उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में ऐसा करते हैं।

5. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं और ऊपर की गई अपनी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय की खंड पीठ को भेज देते हैं।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने विवाद के गुण-दोष पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज किया है, केवल ऊपर बताए गए कारणों से मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए एक राय बनाई है।इसलिए, उच्च न्यायालय ऊपर की गई हमारी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और सख्ती से कानून के अनुसार रिट याचिका पर निर्णय लेगा।उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।उपरोक्त मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है।कोई लागत नहीं।

जी.

बिभूति भूषण बोस

मामला वापस ले लिया गया।

एच.